

कार्यालय सहायक आयुक्त
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग A, जोधपुर
2-E/1, सुभाष एन्क्लेव केन्द्रीय विद्यालय के सामने
अभयगढ़ स्कीम, रातानाडा, जोधपुर-342001
ई-मेल: wn01cgst@gmail.com

बालिका शौचालय हेतु ई- निविदा वित्तीय वर्ष 2024. 25

कार्यालय सहायक आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग- ए जोधपुर के लिए स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत वित्तीय वर्ष 2024...2025 में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण करवाने हेतु GST पंजीकृत विनिर्माताओं से जो ब्लैक लिस्टेड नहीं हो, से ई टेंडरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तों व अन्य विवरण, संबंधित कार्यालय में कार्यालय समय में या विभागीय पोर्टल <https://cgstjaipur.gov.in> पर अवलोकन की जा सकती है।

क्रम सं.	कार्य का नाम
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय परिक्षेत्र में राजकीय बालिका विद्यालयों हेतु 4x8 फुट में 1;(4 x 4 के 2) 2 दरवाजे सहित पानी फिटिंग मय टंकी एवं गटर लाइन से कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन सहित शौचालयों के निर्माण कार्य(Toilet size 8X 4 with 2 doors, 2 washbasin, Overhead tank including Pipe and pipe fitting with necessary articles are required for the same.2 फिट फाउंडेशन एवं 1 फीट जमीन से ऊपर तथा कुल लंबाई जमीन से 7 फीट होनी चाहिए)

(Handwritten Signature)
06/05/2024

सहायक आयुक्त
मोहन दास
सहायक आयुक्त
दिनांक : 06/05/2024

फा.सं. I-22(1)/ADM-C/SW/2021/

- श्रीमान आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जोधपुर।
- श्रीमान अपर आयुक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जोधपुर।
- श्रीमान मुख्य लेखा अधिकारी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जोधपुर।
- श्रीमान सहायक/ उप आयुक्त केन्द्रीय एवं वस्तु कर संभाग सी जोधपुर।
- संवाददाता दैनिक भास्कर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा न्यूनतम स्पेस में आगामी अंक में DAVP दर पर प्रकाशित करवा कर विल कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(Handwritten Signature)
06/05/2024

सहायक आयुक्त
मोहन दास
सहायक आयुक्त

निविदा प्रारूप

सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग सी जोधपुर

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में बालिकाओं हेतु राजकीय विद्यालय में शौचालयों के निर्माण हेतु निविदा।

मैं/हम _____

दूरभाष नंबर _____


मोबाइल नंबर _____

; निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता तथा दूरभाष नंबर)

1. मैं/हम निविदा सूचना में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है। तथा निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न की गई है (जिसके समस्त प्रस्ताव पर उसमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए हैं) का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
2. उक्त दरें अनुबंध अवधि से 31 मार्च 2025 के लिए विधि न्याय होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाएं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरांत बढ़ाया जा सकता है।
3. अमानत राशि हेतु प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय/ संभाग _____ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर _____ के पक्ष में रूपए _____ का डीडी/ बैंकर्स चेक संख्या _____ दिनांक _____ बैंक का नाम मय पता _____ संलग्न है।
4. जीएसटी रजिस्ट्रेशन संलग्न है।
5. पैन नंबर _____।
6. फर्म पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने बाबत शपथ पत्र संलग्न है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शेड्यूल में प्रदान की जाने वाली दरें अंकों एवं शब्दों में अंकित कर दी गई है।


निविदा दाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम


प्रशासनिक अधिकारी
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए
जोधपुर

निविदा की शर्तें :

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन डाउनलोड/ अपलोड करके भरने की अवधि दिनांक 06.05.2024 शाम 6.00 से 26/05/2024 को शाम 4 बजे तक होगी।
2. अमानत राशि रु. 10000/- की डीडी. प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग ए, जोधपुर के नाम से जमा करवाना होगा।
 - (iii) निविदा शुल्क जमा कराने के बाद की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
 - (iv) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस में शेष निवेदा खोलने का कार्य जारी रखा जाएगा।
3. कार्यक्षेत्र समस्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जोधपुर होगा।
4. किसी भी निवेदन को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार निविदा क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
5. जिस फर्म की दर स्वीकृत की जाएगी उसे रु 500 के Non-judicial स्टॉप पेपर पर अनुबंध करना होगा। जिसका खर्च संबंधित फर्म को करना होगा एवं पूर्व में जमा 2% प्रतिभूति (धरोहर) राशि को समायोजित करते हुए शेष अनुमानित लागत की राशि 3% के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि कुल 5% सिक्कोरिटी डिपॉजिट के रूप में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी DDO को सात कार्य दिवस में जमा करवानी होगी।
6. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में दी गई निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
7. फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या सब लेट पर नहीं देगा।
8. समय समय पर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
9. विधालयों के नियमित कार्य को बाधा पहुंचाए बिना निर्माण कार्य सुचारू रूप से करना होगा।
10. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित स्थितियों में जप्त किया जाएगा :-
 - ;अ) जब निविदा/ संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - ;ब) जब निविदा दाता कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो।
11. निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
12. ई- टेंडरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश-
 - (xi) निविदाओं में इच्छुक निविदा दाता निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (xii) ऑनलाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक 27.05.2024 को 11:00 बजे खोली जाएगी।
 - (xiii) वित्तीय निविदा के BOQ में दर अंको तथा शब्दों दोनों में लिखनी होगी। अंको तथा शब्दों की दर में भिन्नता पाई जाने पर शब्दों में लिखी राशि को अंतिम माना जाएगा।
 - (xiv) समस्त राशि कार्य संपूर्ण होने के पश्चात ही दी जाएगी। कार्य पूर्ण होने से पहले किस्त/एडवांस इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
 - (xv) कार्य आदेश जारी होने पर कार्यालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर एक विद्यालय में 1 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रति सप्ताह 500 रुपए मूल राशि में से काटी जाएगी।
 - (xvi) निर्माण सामग्री में जोधपुरी पत्थर या ईट का उपयोग किया जाएगा।
 - (xvii) पानी की टंकी 300 लीटर की होगी।
 - (xviii) यदि एक साथ में दो शौचालय का निर्माण हो रहा है तो 2 टंकी रखना अनिवार्य होगा।
 - (xix) प्रयुक्त की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिवेश ट्रेडमार्क के पूर्णता अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई. एस. आई. विनिदेश के अनुसार अपेक्षा की गई होए वहां उन मदो को पूर्णरूप से निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर ही वह मार्क होना चाहिए।
 - (xx) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी निविदा दाता को उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।


प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए
जोधपुर

13. प्रतिभूति राशि- प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय असफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद लौटाई जाएगी। केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम को कोई प्रतिभूति राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

14. भुगतान-

(v) किसी भी मामले में अग्रिम भुगतान प्रदाय नहीं किया जाएगा।


(vi) भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा कार्य पूर्ण व संतोषजनक पाये जाने होने के प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाएगा।

(vii) प्रधानाध्यापक एवं निविदा दाता के आपस में विवाद होने पर विभाग की क्रय कमेटी की जांच के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

(viii) यदि संविदा के निर्वाचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को भी विभागीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा व उनका इस से संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

15. निविदा को सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरिस्त किया जा सकता है।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत हूँ।


प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संगण-ए
जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता

मय सील मोबाइल नंबर

शपथ पत्र

श्री _____ पुत्र श्री _____ उम्र _____
जाति _____ निवासी _____ तहसील _____ जिला _____
राज्य _____ प्रो. _____ यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि:

1. यह है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित अधिकारियों तथा निर्माण आदेश देने वाले अधिकारियों/ का/ से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है और ना ही कोई मेरे परिजन है।
2. यह है कि मेरे विरुद्ध किसी तरह से आप से धोखाधड़ी लड़ाई का कोई मामला दर्ज नहीं है।
3. यह है कि उक्त सूचनाएं सही हैं एवं सत्य है जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगी।

हस्ताक्षर

तस्दीक-


मैं शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में क्र.सं. 1 से 3 तक वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही है। परमात्मा मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे संस्था के पास पूर्ण अनुभव है, यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग सीमा तक स्वीकार किया गया है, को रद्द किया जा सकता है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर


प्रशासनिक अधिकारी
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए
जोधपुर